



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

National Water Development Agency

Ministry of Jal Shakti, Government of India

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



संख्या: राजविअ/मु०/प्रशा./ उपस्थिति/ 3153


दिनांक: 16 दिसम्बर, 2020

परिपत्र

यह देखा गया है कि कुछ अधिकारी/पदाधिकारी COVID-19 के प्रकोप के दौरान कार्यालय में अनियमित हैं। यह भी देखा गया है कि न तो वे पूर्व अनुमति ले रहे हैं और न ही पूर्व सूचना दे रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारण, आधिकारिक कार्यों में बाधा आ रही है।

2. इससे पहले, सभी कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से चिह्नित की जा रही थी। COVID-19 के प्रसार की रोकथाम को देखते हुए, सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि फिलहाल बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति लेने की आवश्यकता नहीं थी। उपरोक्त के मद्देनजर, सक्षम अधिकारी द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि उप निदेशक और नीचे के स्तर के पदाधिकारियों तक की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर पर ली जाएगी।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि साकेत और पालिका भवन में स्थित कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने एक उपस्थिति रजिस्टर रखा जाए, ताकि उप निदेशक और नीचे के स्तर के पदाधिकारी अपनी उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर पर दर्ज कर सकें।


(चिरब्रत सरकार) 16/12/2020
निदेशक (प्रशा)

प्रति,

1. निदेशक (तक.)/ निदेशक (वित.)/ निदेशक (एम.डी.यू.), राजविअ।
2. अधीक्षण अभियंता-1/II, राजविअ।
3. अधिशासी अभियंता (मुख्य), राजविअ।
4. सहायक निदेशक (रा.भा.), राजविअ।
5. लेखाअधिकारी, राजविअ।

प्रतिलिपि सुचनार्थः

1. महानिदेशक के निजी सचिव, राजविअ।
2. मुख्य अभियंता (मुख्य) के निजी सचिव, राजविअ।